प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक – 31.05.2025**

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा धारा 8 पॉक्सो एक्ट व धारा 354 (घ)/341 भादवि के आरोपी को 03 वर्ष के कठोर कारावास व कुल ₹15,500/- के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

दिनांक 18.08.2021 को वादिया ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि अभियुक्त नज्जू पुत्र सरीफ निवासी मौ0 पाईबाग कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर द्वारा वादिया की पुत्री का पीछा कर अश्लील फब्तिया कसते हुए रास्ता रोककर छेडखानी की गई । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 443/2021 धारा 354/354(ग)/354(घ)/341 भादवि तथा 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त उपरोक्त अभियोगों में आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 31.05.2025 को मा0 न्यायालय स्पेशल पॉक्सो एक्ट, जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 443/2021 धारा 354(घ)/341 भादवि व धारा 8 पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त नज्जू पुत्र सरीफ निवासी मौ0 पाईबाग कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को 03 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹15,500/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता –

नज्जू पुत्र सरीफ निवासी मौ0 पाईबाग कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक – 31.05.2025**

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने वाले आरोपी अभियुक्त को 05 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹7,000 /- के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

दिनांक 06.06.2018 को अभियुक्त फुरकान पुत्र नफीस निवासी ग्राम रसूलपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर हाल निवासी छोटा गजरौला शिव थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक राय होकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से तमन्चे से फायर कर दिया, जो कां0 अब्दुल गफ्फूर के हाथ में लगा। इस सम्बंध में थाना नगीना पर मु0अ0सं0 191/2018 धारा 307/34 भादवि बनाम फुरकान आदि पंजीकृत किया गया। अवैध शस्त्र बरामदगी के सम्बंध में थाना नगीना पर मु0अ0सं0 192/2018 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त उपरोक्त अभियोगों में आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 31.05.2025 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-एफटीसी-II, जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 191/2018 धारा 307/34 भादवि व मु0अ0सं0 192/2018 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम के आरोपी अभियुक्त फुरकान पुत्र नफीस निवासी ग्राम रसूलपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर हाल निवासी छोटा गजरौला शिव थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को 05 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹07 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता –

फुरकान पुत्र नफीस निवासी ग्राम रसूलपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर हाल निवासी छोटा गजरौला शिव थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर **दिनांक – 31.05.2025**

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 209/25 धारा 323/506/376/377 भादवि से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 14.05.2025 को वादिया ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त लोकेन्द्र सैनी पुत्र चन्द्रपाल सैनी निवासी ग्राम शाहपुर भसौडी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादिया के साथ मारपीट की गई एवं गलत कार्य किया गया तथा वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 209/25 धारा 323/506/376/377/313 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग मे धारा 313 भादवि का लोप किया गया।

कार्यवाही –

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त लोकेन्द्र सैनी पुत्र चन्द्रपाल सैनी निवासी ग्राम शाहपुर भसौडी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

लोकेन्द्र सैनी पुत्र चन्द्रपाल सैनी निवासी ग्राम शाहपुर भसौडी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 209/2025 धारा 323/506/376/377 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

01.उ0नि0 संजय कुमार तोमर थानाध्यक्ष चांदपुर जनपद बिजनौर।

02.आरक्षी अर्जुन तोमर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

03.हो0गा0 1222 लोकेन्द्र थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना स्योहारा **दिनांक – 31.05.2025**

थाना स्योहारा पुलिस ने अभियुक्त को चोरी किये गये 02 मोबाइल फोन सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 31.05.2025 को वादी श्री नीरज कुमार पुत्र श्री रामकिशन सिंह निवासी मौहल्ला तकी सराय कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि दिनांक 31.05.2025 की रात्रि में वादी के घर से 02 मोबाइल फोन व ₹1100 /- चोरी हो गये। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 214/25 धारा 331(4),305(ए) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त शोभित उर्फ सोवित पुत्र प्रीतम सिंह निवासी मौ0 तलाई हिन्दू चौधरियान निकट विडला कॉलेज के पास कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी किये गये 02 मोबाइल फोन बरामद किये गये। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शोभित उर्फ सोवित पुत्र प्रीतम सिंह निवासी मौ0 तलाई हिन्दू चौधरियान निकट बिडला कॉलेज के पास कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

बरामदगी –

चोरी किये गये दो मोबाइल फोन (वीवो 1726 व वीवो टी4-5जी)

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 538/23 धारा 380/411 भादवि थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
2.मु0अ0सं0 106/24 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
3.मु0अ0सं0 427/24 धारा 305(a)/ 317(2) बीएनएस थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
4.मु0अ0सं0 002/25 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
5.मु0अ0सं0 214/25 धारा 331(4)/305(a)/317(2) बीएनएस थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री हरिओम सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
2.हे0का0 689 पुष्पेन्द्र सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
3.कां0 1229 विवेक थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
4.कां0 96 प्रदीप थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नूरपुर **दिनांक – 31.05.2025**

थाना नूरपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 186/2025 धारा 319(2)/318(4)/316(2)/75/351(2)/351(3) बीएनएस से सम्बंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 29.05.2025 को वादिया ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि सिकन्दर जेटली निवासी मुरादाबाद नामक व्यक्ति द्वारा अपना नाम व पहचान छिपाकर पार्टनरशिप में यूट्यूब चैनल चलाने का झांसा देकर वादिया से ₹3,73,000 /- हडप लिये। बाद में वादिया को ज्ञात हुआ कि सिकन्दर जेटली का वास्तविक नाम सिकन्दर आलम है और वह नूरपुर का रहने वाला है। वादिया द्वारा अपने रुपये वापस मांगने पर सिकन्दर आलम ने वादिया व उसके भाई को जान से मारने की धमकी देते हुए घर से भगा दिया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 186/2025 धारा 319(2)/318(4)/316(2)/75/351(2)/351(3) बीएनएस बनाम सिकन्दर आलम उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 30.05.2025 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में आरोपी अभियुक्त सिकन्दर पुत्र मौहम्मद नाजिर निवासी मौ0 हजरतनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर गिरफ्तार किया गया। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सिकन्दर पुत्र मौहम्मद नाजिर निवासी मौ0 हजरतनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री राजेन्द्र राणा थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
2. कां0 अंकित कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक – 31.05.2025**

वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में जनपदीय पुलिस द्वारा 09 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 31.05.2025 को जनपदीय पुलिस द्वारा 09 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0 सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	चांदपुर	अरहम पुत्र बदरूदीन निवासी मौ0 कटारमल कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
2	चांदपुर	ओमप्रकाश पुत्र होरीलाल निवासी लक्ष्मणपुर थाना बाण्डा जनपद शहाजहांपुर।
3	चांदपुर	राजू पुत्र मनीराम नि0 मौ0 टांडा उज्जैन थाना काशीपुर जनपद उधमसिंहनगर उत्तराखण्ड
4	चांदपुर	विपिन पुत्र राधेश्याम नि0 मौ0 टांडा उज्जैन थाना काशीपुर जनपद उधमसिंहनगर उत्तराखण्ड
5	नगीना देहात	श्रवण पुत्र ओमप्रकाश निवासी नसरूल्लापुर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
6	स्योहारा	नदीम पुत्र यासीन निवासी मौ0 शेखान कस्बा सहसपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
7	स्योहारा	कपिल कुमार पुत्र राजपाल निवासी ग्राम बूढानंगला थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
8	मण्डावर	भारत पुत्र लोकेश निवासी ग्राम बिलासपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।
9	अफजलगढ	दिनेस कुमार पुत्र अमर सिंह नि0 हेडी बस्ती इस्लामनगर थाना अफजलगढ बिजनौर।

Supreme